

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी  
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 163/2022

र कुमार दूत पुत्र पृथ्वीसिंह, ग्राम कोलसिया, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू ( राज0 ) पिन कोड 333042

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी ( अति0जिला कलक्टर ) झुंझुनू।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश


दिनांक 06.06.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 13.05.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 163/2022 पर दिनांक 13.05.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/2142-43 दिनांक 13.05.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू ने पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 ) न्याय /सू0अ0/22/671 दिनांक 20.05.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी सुधीर कुमार दूत पुत्र पृथ्वीसिंह निवासी कोलसिया तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 21.03.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16( 4 )( 5 ) न्याय/ सू0अ0 /09/109 दिनांक 25.03.2022 के द्वारा प्रभारी अधिकारी राजस्व ( PLPC ) अनुभाग कलेक्ट्रेट झुंझुनू को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। प्रभारी अधिकारी राजस्व ( PLPC ) अनुभाग कलेक्ट्रेट झुंझुनू ने अपने पत्र क्रमांक 867-69 दिनांक 04.05.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए अवगत करवाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे उपखण्ड अधिकारी नवलगढ से रिपोर्ट चाही गई है। उपखण्ड अधिकारी नवलगढ से तथ्यात्मक प्रतिवेदन अप्राप्त है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( अति0जिला कलक्टर ) झुंझुनू पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 ) न्याय /सू0अ0/22/671 दिनांक 20.05.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी सुधीर कुमार दूत पुत्र पृथ्वीसिंह निवासी कोलसिया तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 21.03.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16( 4 )( 5 ) न्याय/ सू0अ0 /09/109 दिनांक 25.03.2022 के द्वारा प्रभारी अधिकारी राजस्व ( PLPC ) अनुभाग

  
जिला कलक्टर झुंझुनू

- कलेक्ट्रेट झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। प्रभारी अधिकारी राजस्व ( PLPC ) अनुभाग कलेक्ट्रेट झुंझुनूं ने अपने पत्र क्रमांक 867-69 दिनांक 04.05.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए अवगत करवाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उपखण्ड अधिकारी नवलगढ से रिपोर्ट चाही गई है। उपखण्ड अधिकारी नवलगढ से तथ्यात्मक प्रतिवेदन अप्राप्त है। चूंकि अपीलार्थी को सूचना नहीं मिली है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रभारी अधिकारी राजस्व ( PLPC ) अनुभाग कलेक्ट्रेट झुंझुनूं को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना 7 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 06.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( एल0एस0कुडी )  
जिला कलेक्टर, झुंझुनूं